न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./23/2023

1. ओमप्रकाश पुत्र रामधन जाति ढोली निवासी बगराई तहसील भिनाय हाल मुकाम नवा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
2. सावित्री पुत्री रामधन जाति ढोली निवासी बगराई तहसील भिनाय हाल मुकाम नवा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. उर्मिला पत्नी अशोक जाति ढोली निवासी बगराई तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री मोहम्मद युसुफ
2. वकील अप्रार्थी श्री रमेश मेघवंशी
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बगराई पटवार क्षेत्र बगराई भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियाकलां के खाता सं0 39 में दर्ज खसरा नं. 1526 रकबा 1.42 कुल किता 01 कुल रकबा 1.42 हैक्ट** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 द्वारा, प्रार्थीगण की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीगण को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश मेघवंशी द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बगराई के खाता संख्या 39 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बगराई पटवार क्षेत्र बगराई भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियाकलां के खाता सं0 39 में दर्ज खसरा नं. 1526 रकबा 1.42 कुल किता 01 कुल रकबा 1.42 हैक्ट0** हेतू नायब तहसीलदार देवलियाकलां को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

Scanned with CamScanner